भारत को वैश्विक खाद्य टोकरी बनाने हेतु योजनाएं

-परमेश्वर लाल पोद्दार

भारत में विगत वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन में लगातार उच्च उत्पादकता दर्ज की गई है। भारत विश्व कृषि में दूध और दालों में पहले; सब्जी में दूसरे; फल, गेहूं और चावल में दूसरे और अनाज तथा अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। इस तरह, भारत में दुनिया की खाद्य टोकरी बनने की पूरी क्षमता है। हालाँकि इस मार्ग में कई चुनौतियां हैं। खाद्य उद्योग की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक विकास योजनाएं आवश्यक हैं। भारत सरकार ने इन चुनौतियों को काफी गंभीरता से लिया है और इस ओर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।

भारत दुनिया में कृषि और खाद्य उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। वर्ष 2022-23 में भारत की कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5% रहने का अनुमान लगाया गया। कृषि और संबद्ध गतिविधियों में सकल मूल्यवर्धन (GVA) 2022-23 के लिए लक्षित 4% बढ़ा। देश में चावल, गेहूं, दालें, तिलहन, कॉफी, जूट, गन्ना, चाय, तंबाकू, मूंगफली, डेयरी उत्पाद, फल आदि जैसी कई फसलें और खाद्यान्न पैदा होते हैं। विश्व व्यापार संगठन की उपलब्ध व्यापार सांख्यिकी समीक्षा (2022) के अनुसार, वर्ष 2021 में विश्व कृषि व्यापार में भारत के कृषि निर्यात और आयात की हिस्सेदारी क्रमशः 2.4% और 1.7% थी। भारत वैश्विक कृषि निर्यातकों की शीर्ष 10 रैंकिंग में था।

देश की जरूरतों की पूर्ति के साथ ही भारत विश्व की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित रूप से तैयार है। वर्ष 2020-21 की तुलना में, वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध निर्यात 20.79% बढ़कर 3,74,611.64 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि और संबद्ध निर्यात में वृद्धि मुख्य रूप से गेहूं (279.71%), डेयरी उत्पाद (98.40%), चीनी (66.17%), काजू नट शैल तरल (64.84%), अन्य अनाज (56%), अपशिष्ट सहित कच्चा कॉटन (50.39%), मिल्ड उत्पाद (48.54%), कॉफी (42.59%), विविध प्रसंस्कृत वस्तुएं (36.11%) और दलहनों (36.66%) जैसी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के कारण हुई, जिसमें पिछली समान अवधि की तुलना में वर्ष 2021-22 में उच्च वृद्धि देखी गई।

भारत को कृषि और संबद्ध वस्तुओं के आयात के प्रमुख स्त्रोत इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, अफगानिस्तान, तंजानिया, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, कनाडा, नीदरलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि संबद्ध क्षेत्र का निर्यात चित्र-1 में दर्शाया गया है।

भारत में विगत वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन में लगातार उच्च उत्पादकता दर्ज की गई है। भारत विश्व कृषि में दूध और दालों में पहले, सब्जी में दूसरे, फल, गेहूं और चावल में दूसरे, अनाज और अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। देश में खेती योग्य भूमि है, फलों और सब्जियों की सभी किस्मों के उत्पादन के लिए सभी मौसम हैं। इस तरह, भारत में दुनिया की खाद्य टोकरी बनने की पूरी क्षमता है। हालाँकि इस मार्ग में कई चुनौतियां हैं। भारत में बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन होने के बावजूद खाद्य स्फीति और खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे देश हित में चिंता का विषय हैं। भारतीय कृषि उद्योग

लेखक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पुनर्वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, मुंबई में सहायक महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं।
ई-मेल : poddarparmeshwar@gmail.com

चित्र-1: कृषि संबद्ध क्षेत्र का निर्यात आंकड़ा

स्रोतः कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या अत्यधिक अक्षम आपूर्ति शृंखला की है। शीत शृंखला आधारभूत संरचना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की कमी के कारण भारत में उत्पादित सभी खाद्य पदार्थों का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। इन चुनौतियों को अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके एवं एक कुशल और प्रभावी आपूर्ति शृंखला का निर्माण करके हल किया जा सकता है। अनाज, फलों, सब्जियों, दूध, मछली, मांस और पोल्ट्री के अधिशेष को मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों के रूप में संसाधित किया जा सकता है और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विपणन किया जा सकता है। कोल्ड चेन अवसंरचना में निवेश, फसलोपरांत प्रौद्योगिकियों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान, विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना और खाद्य खुदरा व्यापार क्षेत्र का विकास इस क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।

खाद्य उद्योग की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक विकास योजनाएं आवश्यक हैं। भारत सरकार ने इन चुनौतियों को काफी गंभीरता से लिया है और इस ओर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं:-

नीतिगत पहल

देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक नीतिगत पहलें की गई हैं। इनमें से कुछ हैं:

- ✓ सभी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत लाइसेंसिंग के दायरे से छूट देना।
- ✓ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विनियमों के अंतर्गत स्वचालित मार्ग के ज़रिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति।
- ✓ भारत में विनिर्मित अथवा उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कामर्स सहित व्यापार के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
- ✓ कच्चे और प्रसंस्कृत उत्पाद के लिए जीएसटी निम्न दरें; 70% से अधिक खाद्य उत्पादों को 0% और 5% के निचले कर स्लैब में शामिल किया गया है।
- ✓ खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन का कृषि गतिविधियों के तहत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकरण।
- ✓ कच्चे उत्पाद को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलने के लिए अवसंरचना निर्माण, प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करना।
- ✓ नामित खाद्य पार्कों और कृषि प्रसंस्करण यूनिटों के लिए किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में 2000 करोड़ रुपये के एक विशेष कोष की स्थापना।
- ✓ सभी योजनाओं के आवेदन प्रपत्रों को सरल बनाना और दस्तावेज़ों की आवश्यकता को कम करना।
- ✓ खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल (एफआईसीएसआई) के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और कौशल विकास पहल में कौशल अवसंरचना सृजन में सहायता करना।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विकासात्मक पहल

- ✓ पीएम किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना और उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) के तहत मेगा फूड पार्क, एकीकृत शीत शृंखला (कोल्ड चेन) और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं के निर्माण/विस्तार आदि की योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास का समर्थन करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का सृजन।
- ✓ विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सहायता प्रदान करना।

चित्र-2 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ

- ✓ विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को शामिल करके और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को समर्थन देकर खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास आधार को व्यापक बनाना।
- ✓ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रबंधकों, उद्यमियों और कुशल श्रमिकों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकसित करना।
- ✓ खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सहायता, खाद्य मानकों को निर्धारित करने में सक्रिय भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ उनका तालमेल स्थापित करने के लिए सहायता।
- ✓ कम से कम समय के नुकसान के साथ प्रसंस्करण केंद्रों तक पहुंचने के लिए खराब होने वाली कृषि उपज के लिए एक मज़बूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना।
- ✓ एकल विंडो प्रणाली को सक्रिय करने के लिए उद्योग और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के साथ नियमित बातचीत।
- ✓ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देना। 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेशकों को दी जाने वाली राज्य-विशिष्ट संसाधन क्षमता, नीतिगत समर्थन और वित्तीय प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए एक निवेशक पोर्टल 'निवेश बंधु' विकसित किया गया है। घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को पोर्टल (https://foodprocessingindia.gov.in) के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश से संबंधित किसी भी मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछने की सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रचारात्मक पहल

देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्षमता और संभावनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित सहायता का प्रावधान है –

(i) कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रदर्शनियों और मेलों का आयोजन।
(ii) अध्ययन/सर्वेक्षण।
(iii) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों आदि में भागीदारी।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काम कर रही प्रसंस्करण यूनिटों की प्रकृति और आकार को देखते हुए, निजी क्षेत्र की तरफ से बुनियादी सुविधाओं और मूलभूत सुविधाओं में इस समय किसी बड़े निवेश के आने की संभावना नहीं है। अतः खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने की दृष्टि से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बेहतर विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन, प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार एवं अन्य सहायक उपायों के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इन सभी योजनाओं की समीक्षा कर, महत्वपूर्ण कमियों की पहचान की गई, और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने में इन अंतरालों को दूर करने के लिए कुछ नई योजनाएं तैयार की गईं। इन सभी योजनाओं को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत एकीकृत किया गया। इसे 3 मई, 2017 को प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अंतर्गत मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार (इकाई योजना), कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का सृजन, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, मानव संसाधन और संस्थान तथा ऑपरेशन ग्रीन्स को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।

पीएमकेएसवाई एक सर्वसमावेशी पैकेज है जिसके परिणामस्वरूप खेत से सीधे दुकान तक प्रभावी वितरण श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ है। यह न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बहुत अधिक बढ़ावा देता है बल्कि किसानों को बेहतर आय अर्जित करने में भी मदद करता है। साथ ही, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के बड़े अवसर पैदा करने, कृषि उपज की बर्बादी को कम करने, प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।

मेगा फूड पार्क योजना

मेगा खाद्य पार्क योजना को 2008 से ही क्रियान्वित किया गया है, इसका लक्ष्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए एक ऐसी आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना निर्मित करना है जो कि मांग आधारित प्रणाली में क्लस्टर दृष्टिकोण एवं हब तथा स्पोक मॉडल पर आधारित हो। इस योजना का उद्देश्य मूल रूप से एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला को खाद्य प्रसंस्करण के साथ स्थापित करने में सुविधा प्रदान करना है तथा इस योजना को पश्चगामी एवं अग्रस्थ श्रृंखलाओं का अपेक्षित सहयोग प्राप्त है। इस योजना के पीछे व्यापक विचार किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाना और कृषि उत्पादन को बाज़ार से जोड़ना है ताकि मूल्य संवर्धन को अधिकतम किया जा सके, अपव्यय को कम किया जा सके और किसानों की आय में सुधार किया जा सके। मेगा खाद्य पार्क योजना एक स्पष्ट कृषि/बागवानी एवं प्रसंस्करण क्षेत्र को परिकल्पित करती है जिसमें अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ सहायक अवसरंचना तथा सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला मौजूद होती है।

इस योजना में सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से पूंजी अनुदान और सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित कठिन और पहाड़ी क्षेत्रों यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र और राज्यों के आईटीडीपी अधिसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना के अधीन पूंजी अनुदान प्रदान किया गया है।

योजना की स्थिति : इस योजना के तहत 41 परियोजनाओं हेतु सहायता राशि जारी की गई है। इसमें से 22 में फूड पार्क परियोजना चालू हो चुकी है। इन पार्कों में लगभग 95 इकाइयां चल रही हैं जो प्रत्यक्षतः 27 हज़ार लोगों को रोज़गार प्रदान कर रही हैं।

एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना: फसल काटने के बाद होने वाले नुकसान को कम करने तथा कृषि उपज के मूल्यवर्धन के मद्देनज़र, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2008 से ही एकीकृत कोल्ड चेन एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना योजना को क्रियान्वित कर रहा है। यह योजना एकीकृत एवं सम्पूर्ण कोल्ड चेन सुविधाओं को खेत से सीधे ग्राहकों तक बिना रुकावट के पहुंचाते हुए उन्हें प्रोत्साहित करती है ताकि कृषि उपज के संग्रहण, भंडारण, परिवहन में दक्षता सुधारते हुए तथा न्यूनतम प्रसंस्करण के माध्यम से नुक़सान को कम किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत बागवानी और गैर-बागवानी उपज दोनों ही समर्थन के लिए मान्य हैं। यह योजना कृषि भूमि स्तर पर शीत शृंखला अवसंरचना को निर्मित करने पर विशेष बल देती है।

योजना की स्थिति : इस योजना के अंतर्गत 376 एकीकृत शीत शृंखला परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है। इन 376 परियोजनाओं में से, 269 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और बाकी 107 परियोजनाएं क्रियान्वयन के अलग-अलग चरणों में हैं। 376 परियोजनाओं की अब तक की कुल स्वीकृत परियोजना लागत 10748.20 करोड़ रुपये है जिसमें निजी निवेश 8079.5 करोड़ रुपये तथा सहायता राशि 3009.09 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के अंतर्गत 10.50 लाख मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज, प्रतिदिन 177.72 लाख लीटर दुग्ध प्रसंस्करण और 1899 रीफ़र वाहन की क्षमता विकसित हो गई है।

खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना : स्कीम का मुख्य उद्देश्य प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से कृषि खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण/परिरक्षण को बढ़ावा देना और खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों का आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन करना है जिससे बर्बादी में कमी आती है तथा मूल्य संवर्धन होता है। व्यक्तिगत इकाइयों द्वारा किए जाने वाले प्रसंस्करण कार्यकलापों में फसलोत्तर प्रक्रियाओं की एक विस्तृत शृंखला शामिल होती है जिसके परिणामस्वरूप शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के परिरक्षण के लिए अपेक्षित विशिष्ट सुविधाओं के साथ मूल्यवर्धन और/अथवा शेल्फ लाइफ में वृद्धि होती है। इस स्कीम के अंतर्गत आधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करने का उद्देश्य प्रक्रिया दक्षताओं के साथ-साथ अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता दोनों में स्पष्ट अंतर लाना है। योजना के अंतर्गत फल और सब्ज़ी प्रसंस्करण, दूध प्रसंस्करण, मांस/मुर्गी पालन/मछली प्रसंस्करण, खाने के लिए तैयार/पकाने के लिए तैयार खाद्य उत्पाद/नाश्ता अनाज/स्नैक्स/बेकरी और पोषण संबंधी स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों सहित अन्य खाद्य उत्पाद, आधुनिक तकनीक पर आधारित अनाज/दालें, तिलहन मिलिंग और प्रसंस्करण, आधुनिक चावल मिलिंग, अन्य कृषि बागवानी उत्पाद जिसमें मसाले, नारियल, सोयाबीन, मशरूम प्रसंस्करण आदि शामिल हैं।

योजना की स्थिति : इस योजना के अंतर्गत 394 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रियान्वयन हेतु मंजूरी दी गई है जिसके लिए 5257.85 करोड़ रुपये की परियोजना लागत स्वीकृत की गई है जिसमें निजी निवेश 3792.30 करोड़ रुपये तथा सहायता राशि 1465.55 करोड़ रुपये है।

कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना योजना : इस योजना का उद्देश्य उत्पादन क्षेत्रों के करीब खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना, खेत से उपभोक्ता तक सामान पहुंचाने के लिए एकीकृत और संपूर्ण परिरक्षण बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और सभी सुविधाओं से सुसज्जित आपूर्ति शृंखला के माध्यम से उत्पादकों/किसानों के समूहों को प्रोसेसर और बाज़ारों से जोड़कर प्रभावी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बनाना है। इस योजना का लक्ष्य उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक अवसंरचना को विकसित करना है।

योजना की स्थिति : इस योजना के अंतर्गत 79 परियोजनाओं को 657.63 करोड़ की सहायता राशि समेत स्वीकृत किया गया है।

बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन योजना

इस योजना का उद्देश्य बाज़ार के साथ जुड़ने तथा कच्चे माल की उपलब्धता के संदर्भ में आपूर्ति शृंखला की कमियों को दूर करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रभावी तथा समेकित बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज प्रदान करना है। यह योजना जल्दी खराब होने वाली बागवानी एवं गैर-बागवानी वस्तुओं जैसे फल, सब्जियों, दुग्ध उत्पाद, मांस, मुर्गी, मछली, रेडी टू कुक खाद्य पदार्थ, शहद, नारियल, मसाले, मशरूम, जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ रखने वाली रिटेल दुकानों इत्यादि पर मान्य है।

योजना की स्थिति : इस योजना के अंतर्गत 61 परियोजनाओं हेतु 187.50 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना योजना

इस योजना का उद्देश्य खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु जांच प्रयोगशालाओं को स्थापित करना है। इसके माध्यम से प्रसंस्करण उद्योगों एवं अन्य साझेदारों से प्राप्त नमूनों का विश्लेषण किया जा सकेगा। पर्याप्त संख्या में प्रयोगशालाओं को स्थापित करने से नमूनों के विश्लेषण में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा। खाद्य पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय मापदंडों का अनुपालन निर्यातों के साथ-साथ आयातों में भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत 161 परियोजनाओं हेतु 280 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान राशि जारी की जा चुकी है।

आपरेशन ग्रीन

कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा व्यावसायिक प्रबंधन के प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय बजट 2018-19 के बजट भाषण में "ऑपरेशन फ्लड" की तर्ज पर 500 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक नई स्कीम "ऑपरेशन ग्रीन्स" की घोषणा की गई थी। तद्नुसार, टमाटर, प्याज एवं आलू (टॉप) की मूल्य शृंखला के एकीकृत विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। ❑